संख्या-11/2023/I/291545/2023/012-46-1002-003-5-2022

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उ.प्र. लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 22 मार्च, 2023**

विषय:- अनुदान संख्या -23 (गन्ना) के अन्तर्गत कतिपय वचनबद्ध मदों में कम पड़ रही धनराशियों का पुनर्विनियोग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 1301/लेखा-बजट(पुनर्विनियोग)/2022-23, दिनांक 28.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-23 (गन्ना) लेखाशीर्ष- ''2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत 09-विद्युत देय में घटित होने वाली बचतों में से रू.3,58,897.00 एवं 2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-04-गन्ने की खेती का विकास तथा उसके प्रगाढ़ीकरण की योजना के अन्तर्गत 09-विद्युत देय में हो रही बचतों में से रू.12,18,000.00 को **संख्या-23 (गन्ना) लेखाशीर्ष- ''2401-फसल कृषि कर्म-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत 09-विद्युत देय में रू.15,76,897.00 (पन्द्रह लाख छिहत्तर हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र)** संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त- स्वीकृत मदों पर ही किया जाये।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में इंगित प्रयोजन हेतु कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(4) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(5) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 4.11.2022 एवं 7.6.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,76,897 (रुपये पंद्रह लाख छिहत्तर हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 023 लेखा शीर्षक 2401000010300 गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान- मानक मद 09 विद्युत देय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या-11/2023/I/291545/2023/012-46-1002-003-5-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला आदर्श कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

बी एम-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A046-20222023-011-46-1002-003-5-2022

विषय:- अनुदान संख्या-23(गन्ना) के अन्तर्गत कतिपय मदों में धनराशि उपलब्ध न होने/कम होने के दृष्टिगत धनराशियों का पुनर्विनियोग कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग
023	2401000010400 (क्षेत्रीय कार्यालय)	09 (विद्युत देय)	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	3,58,897 रुपये तीन लाख अट्ठावन हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र	-3,58,897 रुपये तीन लाख अट्ठावन हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र	358897	641103
023	2401001080400 (गन्ने की खेती का विकास तथा उसका प्रगाढ़ीकरण)	09 (विद्युत देय)	21,00,000 रुपये इक्कीस लाख मात्र	12,18,000 रुपये बारह लाख अठारह हजार मात्र	-12,18,000 रुपये बारह लाख अठारह हजार मात्र	1218000	882000

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग
023	2401000010300 (गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान)	09 (विद्युत देय)	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	15,76,897 रुपये पंद्रह लाख छिहत्तर हजार आठ सौ सत्तानवे मात्र	1576897	6576897

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त स्वीकृत मदों पर ही किया जाये।

(2) उक्त बचत की धनराशि गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संख्या:RE-budget-1-541 , दिनाँक 19 मार्च, 2023

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव

कुलदीप बाबू
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आदर्श जिला कोषागार, लखनऊ।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)।
6. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से
सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है